



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.10.2020 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त आशिक अली पुत्र साविर अली निवासी ग्राम नूरदीन चक दरगाह थाना दरगाह जनपद बहराइच को गौलोक कोडर चौकी बैरियर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से मौके पर 50 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 345/2020 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- आशिक अली पुत्र साविर अली निवासी ग्राम नूरदीन चक दरगाह थाना दरगाह जनपद बहराइच

बरामदगी- 50 ग्राम अवैध स्मैक

पंजीकृत अभियोग- पर मु0अ0सं0 345/2020 धारा 8/21 NDPS ACT थाना थानगांव सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार, हे0का राम आशीष यादव, हे0का0 राजेश सिंह, का0 संदीप कुमार

